संशोधन

संख्या- 151 /2024 / 1032 /चार-2024

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 18 मार्च, 2024

विषय:- कल्चरल क्लब योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त राजकीय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में 'कल्चरल क्लब' की स्थापना हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक शासनादेश दिनांक 15 मार्च, 2024 में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सबंध में शासनादेश संख्या- 139 /2024 / 883 /चार-2024 दिनांक 15 मार्च, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश संख्या- 139 /2024 / 883 /चार-2024 दिनांक 15 मार्च, 2024 में आंशिक संशोधन करते हुए शासनादेश संख्या- 139 /2024 / 883 /चार-2024 दिनांक 15 मार्च, 2024 के प्रस्तर-2 में अंकित 'रू0 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र)' के स्थान पर 'रू0 82.22 लाख (रूपये बयासी लाख बाईस हजार मात्र)' पढ़ा जाये।

3- उक्त शासनादेश संख्या- 139 /2024 / 883 /चार-2024 दिनांक 15 मार्च, 2024 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

संख्या- 151 /2024 / 1032 (1) /चार-2024 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. कुलपति, भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ ।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5. वित्त नियंत्रयक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in